बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–:: संकल्प ::–

पटना–15, दिनांक.........................

श्री विकास कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–699/2024, (851/2023) तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने, निरीक्षण के क्रम में निर्धारित ड्रेस कोड में नहीं रहने, बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये वाणावर श्रावणी मेला में झूला लगाने की अनुमति प्रदान करने, मेला परिसर के विधि व्यवस्था का सम्पूर्ण प्रभार दिये जाने के बावजूद प्रतिनियुक्ति स्थल से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 12.08.2024 को लगभग 01.00 बजे पूर्वाह्न में बराबर पहाड़ी स्थिति बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण के पास स्थानीय दुकानदार तथा श्रद्धालु के बीच विवाद में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होने के कारण 07 श्रद्धालुओं की मौत एवं कई श्रद्धालु के घायल होने संबंधी आरोप पत्र जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–29 (मु०) दिनांक 20.08.2024 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। साथ ही, आरोपों की वृहद जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक–15398 दिनांक 26.09.2024 विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

जाँच आयुक्त–सह–अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पत्रांक–103 दिनांक 16.12.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप सं०–01, 02, 04, 05 एवं 06 को अप्रमाणित तथा आरोप सं०–03 को आंशिक प्रमाणित पाया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर पत्रांक–23998 दिनांक 26.12.2025 द्वारा लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन (दिनांक 10.01.2026) प्राप्त हुआ।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उक्त जाँच प्रतिवेदन पर आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि :–

(i) वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 25.07.2024 को गयी समीक्षात्मक बैठक में दिये गये मौखिक निदेश के आलोक में थानाध्यक्ष, बराबर द्वारा मेला परिसर में झूला लगाने के संबंध में

आपत्ति प्रेषित की गयी थी। पुनः उसी थानाध्यक्ष, बराबर द्वारा उसी बैठक में दिये गये मौखिक आदेश के आलोक में छोटा झूला जिसकी अधिकतम क्षमता 25 व्यक्ति की होगी, को लगाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में अनुशंसा प्रेषित की गयी है।

(ii) छोटा झूला लगाने के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। परन्तु थानाध्यक्ष, बराबर एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल के अनापत्ति पत्र अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुमति निर्गत करने के उपरांत दिया गया है, जिसे यह स्पष्ट होता है कि श्री कुमार द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये झूला लगाने की अनुमति निर्गत की गयी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री विकास कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–699/2024, (851/2023) तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर से प्राप्त लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के संगत प्रावधानों के तहत **"निन्दन" (आरोप वर्ष–2024–25)** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(उमेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–08/आरोप–01–14/2024 सा०प्र०,...3519.../**पटना, दिनांक**..19.2.26

प्रतिलिपि–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/भागलपुर/श्री विकास कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–699/2024, (851/2023) अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12,14 एवं 29/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट (मुख्य शीर्ष–09) पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.2.26

सरकार के अवर सचिव।

Path- E:\New folder -08\J.P SIR New\Sanklap.docx